कार्यवाही विवरण

मेसर्स रायपुर पॉवर एंड स्टील लिमिटेड, प्लाट नं. 75 एवं 76, बोरई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant Consisting of Iron Ore Beneficiation & Pelletization Plant from 3,00,000 TPA to 5,00,000 TPA, Sponge Iron from 90,000 TPA to 2,40,000 TPA, Induction Furnace with Concast from 90,000 TPA to 1,80,000 TPA, Rolling Mill from 90,000 TPA to 1,80,000 TPA, Captive Power Plant-WHRB from 6 MW to 18 MW, AFBC from 6 MW to 24 MW, Fly ash Brick Plant of 15 Million Bricks/Annum (50,000 Bricks/Day) along with existing Ferro Alloy Plant of 2x9 MVA to manufacture FeSi-12,650 TPA (or) SiMn-28,500 TPA (or) FeMn-37,000 TPA के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई हेतु दिनांक 23/08/2024 को समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान–दशहरा मैदान, शासकीय प्री–मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भवन के पास, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स रायपुर पॉवर एंड स्टील लिमिटेड, प्लाट नं. 75 एवं 76, बोरई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant Consisting of Iron Ore Beneficiation & Pelletization Plant from 3,00,000 TPA to 5,00,000 TPA, Sponge Iron from 90,000 TPA to 2,40,000 TPA, Induction Furnace with Concast from 90,000 TPA to 1,80,000 TPA, Rolling Mill from 90,000 TPA to 1,80,000 TPA, Captive Power Plant-WHRB from 6 MW to 18 MW, AFBC from 6 MW to 24 MW, Fly ash Brick Plant of 15 Million Bricks/Annum (50,000 Bricks/Day) along with existing Ferro Alloy Plant of 2x9 MVA to manufacture FeSi-12,650 TPA (or) SiMn-28,500 TPA (or) FeMn-37,000 TPA के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द ईकानामिक टाईम्स, नई दिल्ली दिनांक 23/07/2024 एवं दैनिक समाचार पत्र नवभारत, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 23/07/2024 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 23/08/2024 को समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान–दशहरा मैदान, शासकीय प्री–मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भवन के पास, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी एकीकृत

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 23/08/2024 को दोपहर 12:29 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान–दशहरा मैदान, शासकीय प्री–मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भवन के पास, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् उक्त परियोजना की ओर से उद्योग प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री आर.एस. पाण्डे, महाप्रबंधक द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री नारायण सिंह साहू, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत खपरी–सिलोदा, जिला–दुर्ग।**

➢ आज की जन सुनवाई में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा एक सुझाव है कि प्लाण्ट का विस्तार होना जरूरी है, इसके साथ ही प्लाण्ट का विस्तार होता है तो प्रदूषण का ख्याल रखा जाये, वृक्षारोपण किया जाये, रसमड़ा ग्राम की जमीन को औद्योगिक कार्य के लिये अधिग्रहण किया गया है। यहां पर अधिकतर लोग मजदूर हैं। यहां के लोगों को पहले नौकरी पर कंपनी में रखा जाये। साथ ही साथ अन्य ग्रामों में

भी पौधा रोपण किया जाये। सभी पंचायतों को इनके द्वारा लाभ मिले। श्रमिक भाई जो प्लाण्ट में जाते हैं और बिना बताये छुट्टी मारने से कार्य प्रभावित होता है तो उनको वहां से हटा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कंपनी के सुपरवाईजर को बोलकर छुट्टी लिया जाये। यहां पर एक प्लाण्ट सुविधि इस्पात लगी है जहां पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण ईएसपी नहीं लगाया गया है जिसके कारण उनके गेट के पास जाकर धरना प्रदर्शन किया गया है। प्लाण्ट का विस्तार होगा तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं इस प्लाण्ट लगने का सहमति प्रदान करता हूं।

2. **श्री अरूण कुमार देवांगन, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ क्या प्रदूषण युक्त रसमड़ा मिलेगा। सुविधि इस्पात का हम लोगों को पिछले 2 माह से विरोध किया गया है। क्या आप हमें शुद्ध हवा दिला सकते हैं तो मैं समर्थन करता हूं।

3. **श्री शेर सिंह ठाकुर, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ सर मेरा 25 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत निकला है। मैं कंपनी में वेल्डर का काम करता हूं। उद्योग में गांव वालों को मजदूरी मात्र 600/– दिया जाता है। जबकि बाहर वालों को अधिक राशि दी जाती है। रसमड़ा में बिजली एवं पानी को निःशुल्क कर दिया जाये।

4. **श्री अजय कुमार ठाकुर, ग्राम–खपरी–सिलोदा, जिला–दुर्ग।**

➢ प्लाण्ट डालना ठीक है, मजदूरों को समय सीमा में राशि का भुगतान किया जाये। जिससे परिवार का सही संचालन हो सके। प्रबंधन महोदय इसके बारे में विचार करें।

5. **श्री राम अधीन पारकर, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ अभी रसमड़ा में जितने भी संयंत्र चल रहा है, उनमें श्रमिकों को कानून के आधार पर राशि का सही भुगनान नहीं हो पा रहा है। ठेका श्रमिकों को वेतनमान लो स्तर पर है। कुशल श्रमिक के कार्य को ठेका श्रमिक से करवाया जा रहा है। जितने श्रमिक हैं संयंत्र में उनका शोषण कर रहे हैं। इस महिने का यदि भविष्यनिधि कटा है तो वह 5 से 6 माह में जमा हो रहा है। मैं हायर सेकेण्डरी स्कूल, रसमड़ा का जनभागीदारी कार्य में वर्तमान में हूं। यहां पर 3 शिक्षक की आवश्यकता है जिससे बच्चों की पढ़ाई में कमी आ रही है। बाल छात्रों का भविष्य को देखते हुए 3 शिक्षकों का व्यवस्था किया जाये।

6. **श्री मूलचंद सिंग, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव है। यहां पर एचईजी कंपनी हुआ करती थी। जिसमें सक्सेना जी ने स्कीम लागू किया था बच्चों के नाम से, बाद यह कंपनी बालाजी के नाम से जाना जाने लगा। कंपनी द्वारा हास्पीटल में बिस्तर की व्यवस्था करवाया गया। सक्सेना जी के जाने के बाद उद्योग द्वारा यह सुविधा बन्द कर दिया गया। सक्सेना जी के तरफ से गांव के होनहार बच्चे जो प्रथम श्रेणी में पास होते थे उन्हें बालाजी कंपनी द्वारा सारी सुविधा प्रदान की जाती थी। इसकी व्यवस्था उद्योग से करवाया जाये। हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी की व्यवस्था कराया गया है जो बन्द है। शासन द्वारा उक्त संयंत्र को प्रारंभ किया जाये। जिससे गांव को शुद्ध पानी मिल सके। उद्योग का धुआं जो रायपुर स्टील एवं सारे प्लाण्ट की नैतिक जिम्मेदारी है वे ईएसपी लगा ले जिसे धुंआ नियंत्रण में रहे। गांव के विकास में

इनकी जनभागीदारी होनी चाहिए। हमारे गांव में स्वास्थ्य के संबंध में शिविर कभी नहीं लगाया गया है। हमारे गांव को केवल डस्ट खाने के लिये छोड़ दिया गया है क्यों प्रदूषण फैला रहे हैं। आज ये कंपनी वाले दुनिया भर की बात बता रहे हैं। गांव वालों को विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही हैं। कंपनी में गांव के 60 प्रतिशत लोगों को योग्यता के आधार पर काम पर कंपनी में रखे तथा 40 प्रतिशत लोगों को बाहर से काम पर रखे। लेकिन उन्हें काम पर नहीं रखा जाता है। बाहर के लोगों को कंपनी में काम पर रखा जाता है। हम प्लाण्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी इंसान है। कानून व्यवस्था सबके लिये है। आप अधिकारी महोदय से निवेदन है कि सुविधा मुहैया कराये। गांव का पानी पीने योग्य नहीं है अतः पीने योग्य पानी की व्यवस्था कराई जाये।

7. **श्री दिलेश्वर कुमार साहू, ग्राम–खपरी, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं भी रायपुर पावर कंपनी में काम करता हूं। सुविधि इस्पात कंपनी द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। वहां से प्रदूषण निकल रहा है। सीएसआईडी के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। प्लाण्ट से आने जाने के लिये जो रोड़ बना वह हैवी गाड़ी चलने से जर्जर हो गया है जिसे कब बनाया जायेगा। भारी वाहन सड़क किनारे खड़े होने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। हमारे रायपुर पावर कंपनी द्वारा हैवी वाहनों को सड़क किनारे खड़े होने से कई बार मना भी किया गया है।

8. **श्री मुरारी निषाद, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां पर प्रदूषण के नियंत्रण हेतु हड़ताल होता रहता है। उद्योग द्वारा निराकरण हेतु आवेदन देता है। फिर भी प्रदूषण का नियंत्रण नहीं हो रहा है।

9. **श्री अश्विनी कुमार निषाद, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ आप प्रशासनिक महोदय को मेरा नमस्कार है। यहां पर उद्योग वाले ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। कंपनी में काम करने पर हमें सेफ्टी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। कंपनी में दो माह काम करने के बाद एक माह का पेमेण्ट दिया जाता है। लेकिन शासन में काम करने वालों को प्रतिमाह पेमेण्ट एक तारीख को दिया जाता है।

10. **श्री रोहित ठाकुर, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ पुष्प स्टील हमारे गांव के नागरिकों को ज्यादा प्राथमिकता देता है ऐसा कहा गया है लेकिन बाहर के गांवों वालों को काम पर लगा रहे हैं। हमारें गांव के लोगों को काम से बाहर निकाला जा रहा है। जो ठेकादार यहां पर ठेका चला रहा है उसके पास ठेके का लायसेन्स नहीं है। तीन वर्ष पहले रायपुर स्टील जो पुष्प स्टील था, बना है यहां पर डस्ट जैसा कुछ नहीं है। प्लाण्ट को अपनी मनमानी से चला रहा है। गांव के आदमी को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार डायमण्ड को अभी यहां पर बुलाया जाये जिसके ठेके को स्वयं एसडीएम जांच करेगा।

11. **श्रीमती चंद्रिका, ग्राम–सिलोदा, जिला–दुर्ग।**

➢ वर्ष 2014 में मेरे आदमी का मर्डर हुआ है। मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है।

12. **श्री शिव कुमार निषाद, ग्राम–महमरा, जिला–दुर्ग।**

➢ समीप का सड़क 10 साल से जर्जर है उसका संधारण क्यों नहीं हो रहा है। पूर्व मरम्मत हेतु औद्योगिक विकास निगम को शीघ्र संधारण कार्य कराये।

13. **श्री नाराम्ता कुमार, ग्राम–महरूमखुर्द, जिला–दुर्ग।**

➢ उद्योग वाले कंपनी लगने के बाद अपने वादा को भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं।

14. **श्री राम नारायण सोनी, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं सर जानना चाहूंगा कि रायपुर स्टील कंपनी का प्रतिनिधि उपस्थित है की नहीं। उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। विस्तारकरण करके क्या लाभ इनके द्वारा दिया जायेगा। कंपनी अधिनियम के तहत .10 किलोमीटर के क्षेत्र में विकास किया जाना है। क्या इनके द्वारा विकास किया जा रहा है। इनके द्वारा कंपनी के साल का कितना टर्न ओव्हर है कृपया बताये। हमें ऐसा प्लाण्ट नहीं चाहिए। इन्हें जन प्रतिनिधि अगर एनओसी दिये तो जनता इसका विरोध करेगी। हमें उद्योग का शासन से जो एम.ओ.यू. हुआ है उसका हमें सर्टिफाईड कापी दी जाये। यदि ईमानदारी से कंपनी अधिनियम का पालन किया जाये तो सारे गांव स्वर्ग बन जायेगा। कंपनी के टर्न ओव्हर का कितना प्रतिशत ग्राम विकास में लगाया जाता है। मेरे द्वारा रोजगार की बात ही नहीं की जा रही है। यदि जनता की सहमति इस विस्तारीकरण के लिये आवश्यक है तो होना चाहिए और यदि सहमति के बिना विस्तारीकरण किया जाता है तो नहीं होना चाहिए। यहां पर लोग बेरोजगारी, डस्ट होने व पानी की समस्या के बारे में अपना पक्ष रख रहे हैं। यहां पर कई प्रकार का प्लाण्ट चल रहा है। हमारे सुझाव, सहमति की मान्यता है उद्योग से विगम वर्ष में हुए आय का 2 प्रतिशत राशि का विकास कार्य करवाई जाये जिससे गांव का विकास हो सकेगा।

15. **श्री जितेन्द्र वैष्णव, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं किसान का लड़का हूं। मैं गार्ड का काम करता हूं। मेरा स्थिति बदतर हो गया है। बाहर के लोगों को अधिक राशि देकर कंपनी में काम पर रखा गया है। मुझे भी बालाजी कंपनी से निकाला गया है। मामला कोर्ट में चल रहा है। यहां पर पढ़े लिखे बच्चे बहुत है।

16. **श्री अरविन्द शर्मा, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं भी सोनी जी के प्रश्न का समर्थन करता हूं कृपया महोदय जी उसका उत्तर दिया जाये। हम गांव वाले डस्ट खाने के लिये ही पैदा हुए हैं। बाकी लोग सब सुखी हैं।

17. **श्री गोविन्द राम निषाद, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ जिन सपनों के साथ गांव के किसान व नागरिकों ने अपना जमीन सौंपा गया, आज की स्थिति बहुत बदतर है। बाहर के लोग यहां आकर काम कर चले जाते हैं और गांव वालों का शोषण हो रहा है। हमारे गांव के किसानों पर अन्याय किया गया है। आज के बाद गांव रसमड़ा में कोई प्लाण्ट नहीं लगना चाहिए। हमें और विस्तार की जरूरत नहीं है। सब अपने जेब भरने में लगे है। गांव में रहने लायक जो जगह है उसे खाली किया जाये। मकान बनाने के लिये कोई जगह नहीं बचा है। जो उद्योग स्थापित है

उसी को संचालित किया जाये। विस्तारीकरण न किया जाये। मानवता के नाते आप सब यहां का अध्ययन करो। प्रदूषण वाला प्लाण्ट न लगाया जाये। उपर में लाईन बिछाया गया है और नीचे वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप सब गांव वाले जागरूक हो जाओ।

18. **श्री रामखिलावन यादव, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ आज रायपुर पावर कपनी का जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यहां पर सभी गांव के सरपंच, जनमानस उपस्थित है। जिस किसान के पास एक से डेढ़ एकड़ की किसानी था, उनके द्वारा सभी लोगों का पालन किया जाता था। लेकिन आज उनके द्वारा औद्योगिक कार्य हेतु जमीन बेच दिया, उस किसान का परिवार जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा है। आज जिस पावर स्टील की बात कर रहे हैं उनके द्वारा हर प्रकार काम किया जा रहा है क्योंकि वे सक्षम है। यहां के मजदूर व किसान परिवार के लोगों को यहां पर कंपनी में काम पर नहीं रखा जाता है वे दरदर भटक रहे हैं। कंपनी में लगभग ठेकेदारी के तहत लगभग 1500 लोग काम कर रहे हैं। रसमड़ा के लोगों को रोजगार देने का उनको कोई अधिकार नहीं है। गांव वालों से आधार कार्ड मांगा जाता है। जिले के अधिकारी आज यहां पर विराजमान है। गांव की महिलाओं द्वारा प्रातः सुबह उठकर बच्चों को तैयार स्कूल भेजा जाता है और कंपनी में काम पर केवल 190 रूपये से 220 रूपये रोजी पर कंपनी में काम पर चली आती है। जबकि शासन की मजदूरी 400 रूपये है जो इन्हें नहीं दिया जाता है। यहां पर लगभग दो से ढ़ाई माह काम करने पर एक माह का वेतन दिया जाता है। हमारे गांव वालों से आवश्यक सहयोग मांग कर यहां पर आंदोलन किया गया। लेकिन हमारे गांव वालों को कंपनी में काम नहीं दिया गया है। बड़े अधिकारी द्वारा यहां पर आकर पंचायत कहा गया कि आप लोगों को कंपनी में रोजगार दिया जायेगा। लेकिन दूर दूर तक कोई रोजगार नहीं मिला है। उद्योग के विस्तारीकरण पर रोक लगाने बाबत् आवेदन दिया गया। पहले यहां के शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों को रोजगार दिया जाये। उद्योग में वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की जाये। यहां पर घनी आबादी है। स्कूल है। आंगन बाड़ी है। मंदिर बिलकुल लगा हुआ है। कंपनी के समीप बांधा तालाब है। एक रकबा की कृषि भूमि कंपनी से प्रभावित हो रही है। जिसमें अभी तक उचित कार्यवाही नही गई है जिस पर रोक लगाई जाये।

19. **श्री ठाकुरराम वर्मा, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं गांव का निवासी हूं। आप लोग विपरीत दिशा में रहकर अपनी बात रखने को कह रहे हैं जो गलत बात है। आज यहां पर बैठने के लिये व्यवस्था नही किया गया है। लोग बाहर खड़े हैं। ग्राम रसमड़ा में पढ़े लिखे प्रशिक्षित लोग है। उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है। गांव से कितने पढ़े लिखे लोगों को कुशल व अकुशल रूप में रोजगार दिया गया है। सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण रायपुर स्टील से, जय बालाजी व सुविधि इस्पात से होता है। सड़क चलने लायक नहीं है। भारी वाहनों के कारण एक्सीडेन्ट होता है। औद्योगिक कंपनी में इस कंपनी द्वारा क्या क्या काम किया गया है यह बताया जाये। गांव के लोगों को क्या क्या फायदा होगा यह भी बताने का कष्ट करें।

20. **श्रीमती मतता साहू, सरपंच, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। कंपनी द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से पूछा गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान गांव में उद्योग द्वारा किये गये कार्य का विवरण–पानी टंकी लगभग 3 लाख की राशि से सीसी रोड निर्माण, लगभग 2.50 लाख तक सहयोग दिया गया है जिस पर कार्य कराया जाना है। इनके द्वारा स्कूलों में वृक्षारोपण कराया गया। गांव की जमीन जो गड्ढा था उसे भूभरण किया गया। प्लाण्ट से मैं मूलभूत सुविधा के लिये अपेक्षा रखती हूं। सीएसआईडीसी द्वारा सड़क का संधारण कार्य करें। जर्जर सड़क में वाहन संचालन परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो ग्रामवासी जिम्मेदार नहीं होगा। कंपनी का विस्तारीकण किया जा रहा है उसमें पाल्यूशन कंटोल करने का सिस्टम लगाया जाये। पूर्व गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू व कलेक्टर के मध्य प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपनी बात रखी गई थी। सुविधि इस्पात का डस्ट बहुत उड़ता है। यदि हम कपड़ा सूखाते हैं तो कपड़े में डस्ट आ जाता है। स्वास्थ्य शिविन प्लाण्ट वाले के द्वारा समय समय पर लगाया जाये। गंभीर बिमारी टी.बी. का ईलाज करवाया जाये। आईटीआई इंजीनियरिंग पास बच्चों को कंपनी में काम पर लिया जाये। हमारे गांव के लोग केवल मजदूरी करेंगे। हमारे गांव के लोगों को योग्यता के अनुसार काम पर लिया जाये। स्कूल में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय बच्चे उत्तीर्ण होते उन बच्चों को प्रोत्साहन राशि दिया जाये। सीएसआर मद की राशि जो बाहर खर्च किया जाता है उसे हमारे गांव के विकास में खर्च किया जाये। आसपास के गांव का विकास भी होना चाहिए।

21. **पुनः उद्बोधन श्री अरविन्द शर्मा, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जनता को केवल क्षमता विस्तार के बारे में बताने का कष्ट करें। अभी जनता के माध्यम से जो बात पहुंची उस बात को मैं आपके समक्ष रख दिया हूं। क्या क्षमता विस्तार किया जायेगा कृपया स्पष्ट करेंगे। उद्योग द्वारा सेटिंग के तहत क्षमता विस्तार किया जा रहा है। मैं कंपनी के विरोध में हूं। अभी तक आप जनता की असहमति से परिचित हो गये हैं। सभी ने अपनी–अपनी समस्यायें गिनाई। ये उद्योग रसमड़ा के लिये घातक है, कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। हम कितना रोयें, कितना गिडगिड़ाये। यहां के तालाब में पूरा डस्ट जमा रहता है। पैदल चलने पर डस्ट लग जाता है। हमारे पूर्वजों ने गांव की जमीन उद्योगों को देकर जो उपकार किया उसके प्रदूषण से हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। पेड़ पौधे प्रदूषित हो रहे हैं।

22. **पुनः उद्बोधन श्री नारायण सोनी, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां आकर कंपनी वाले को जवाब देना चाहिए। पहले गलती हो चुकी है उसे क्या हम दुहराये। इसे कपनी वाले कृपया बताये।

23. **श्री अरूण कुमार देवांगन, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं प्रबंधक महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्राम के विकास में लगभग 10 लाख का खर्च किया गया है उसे कृपया बताये।

24. **श्री अजय वैष्णव, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। बोरई में जो ये प्लाण्ट लगा है तो रसमड़ा में जन सुनवाई क्यों हो रहा है। गांव का नाम चेंज कर दीजिये।

25. **श्रीमती लक्ष्मी यशवंत साहू, सभापति जिला पंचायत, दुर्ग, जिला–दुर्ग।**

➢ आप एक साथ होकर एकता के साथ होकर काम करो। कंपनी द्वारा जन सुनवाई के लिये गांव में कोटवार से हांका परवाया गया था। प्रदूषण गांव में हो रहा है ये सही बात है। सुविधि कंपनी में बहुत ज्यादा धुंआ उड़ रहा था तो हम सबको तकलीफ हो रहा था। जिसके नियंत्रण हेतु हम लोग उद्योग के सामने बैठक किये। सरकार कंपनी अधिनियम बनाया है तो कंपनी का विस्तारीकरण होगा विस्तार नही रूकेगा। मैं कंपनी के प्रतिनिधि को कहना चाहूंगी कि कंपनी के सीएसआर मद की राशि गांव के विकास के लिये नहीं आता उसे गांव के विकास में लगाया जाये। सीएसआईडीसी द्वारा सड़क जो जर्जर उसका मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। मेरे पतिदेव उस सड़क में गिरे, गांव के बच्चे गिरे। सड़क का मरम्मत पीडब्लूडी या सीएसआईडीसी वाले करेंगे कृपया बताये। गांव वाले भाई कृपया मेरी बात को समझे। हम खुद नहीं चाहते हैं कि कंपनी का विस्तार हो। मैं यहां पर प्रश्न पूछने आई हूं। आधार कार्ड देखकर रसमड़ा के लोगों को काम में नहीं रखा जा रहा है। लगभग 40 प्रतिशत गांव के लोगों को काम पर रखा जाये।

26. **श्री भोजराम साहू, ग्राम–मनगटा, छ.मु.मो., जिला–दुर्ग।**

➢ मजदूरों को अपना अधिकार चाहिए। ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं। सुरक्षा सामग्री जूता, हेलमेट का पैसा काटते हैं। दलाली प्रथा चला रहे हैं। ग्रेज्युटी और पेंशन पैसा नही देते हैं। थाने में सुनवाई नही होती है। हमारा पैसा मांगना भी आंदोलन कहा जाता है। पंचायत बॉडी मजदूरो का साथ नहीं देती है। जब तक ग्राम पंचायत के सरपंच हस्ताक्षर नही करेंगे तब तक प्लाण्ट नही लग सकता है। शासन प्रशासन भी जानता है। लोक सुनवाई में मालिक नहीं आते हैं स्थानीय प्रबंधन पैसा खाते हैं। आज जो बोला हूं वही कल थाना जायेगा। अपना पैसा मांगने पर कोर्ट केस कर देते हैं। रायपुर स्टील की दादागीरी चलती है। विरोध करने वालों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आप सब मजदूर भाई जागरूक हो जाओ।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया, किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री वाई. माहेश्वर रेड्डी, रायपुर द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ वायु प्रदूषण की व्यवस्था ईएसपी लगाया जायेगा।

- ❖ डस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाया जायेगा।
- ❖ नियमानुसार 30 मीटर चिमनी उंचाई की स्थापना की जायेगी।
- ❖ ईसपी में इनटरलॉक सिस्टम लगाया जायेगा।
- ❖ दूषित जल का पुर्नउपयोग किया जायेगा जाकर हरियाली हेतु उपयोग किया जायेगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
- ❖ लगभग 24500 नग वृक्षारोपण गांव में किया जायेगा।
- ❖ गन्दे पानी की समस्या को दूर किया जायेगा।
- ❖ शिक्षा विभाग में उद्योग की भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षा की उचित व्यवस्था की जायेगी। हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जायेगा।
- ❖ स्थानीय रोजगार के तहत लगभग 1590 लोग कंपनी में कार्यरत है।
- ❖ ग्राम पंचायत को चाहिए कि एक डाटा मेन्टेन करें जिसकी एक कापी हमें भी दिया जाये तभी योग्यता के आधार पर हमारे कंपनी द्वारा रोजगार दिया जायेगा।
- ❖ हमारे द्वारा आधार कार्ड देखकर गांव के लोगों को बाहर कर दिया जाता है ये बात सही नहीं है।
- ❖ कारखाना अधिनियम के अनुसार गांव में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ सड़क का मरम्मत कार्य किया जायेगा।
- ❖ कारखाना में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जायेगा।
- ❖ वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। खाली जगह अनुसार गांव में वृक्षारोपण किया जायेगा।
- ❖ सीएसआर मद के तहत प्राप्त राशि का उपयोग गांव के विकास में किया जायेगा।
- ❖ गांव में चिकित्सा संस्थान में एक एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 26 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 24 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा पुनः उद्बोधन) के द्वारा कुल 26 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 61 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02:55 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

23/10/24
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला–दुर्ग